न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 15/2023 तारीख दायर :–05.07..2023 दिनांक निर्णय :–04.08.2023

पटवारी हल्का राजपुरबड़ा तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

धनपाल नागर पुत्र बंशीलाल नागर जाति बैरवा निवासी बड़ा राजपुरबड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम–1956

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का राजपुरबड़ द्वारा राजस्व ग्राम राजपुरबड़ा के आराजी खसरा नम्बर 2273/593 रकबा 0.22 है0 के भाग 0.02 है0 चारागाह भूमि पर पक्का मकान एवं दुकान का निर्माण कर अप्रार्थी धनपाल नागर पुत्र बंशीलाल नागर जाति बैरवा निवासी राजपुरबड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण करने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवृत होकर प्राप्त होने के बावजूद नियत सुनवाई तारीख को अप्रार्थी उपस्थित रहा तथा नोटिस जवाब व आबादी भूमि का विक्रय विलेख पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया । विक्रय विलेख की जॉच भू0अ0निरीक्षक राजपुरबड़ा एंव ग्राम विकास अधिकार पंचायत समिति राजगढ़ द्वारा कराई गई। भू0अ0नि0 राजपुरबड़ा द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट दिनांक 17.07.2023 प्रस्तुत की जिसमें ग्राम पंचायत राजपुरबड़ा से लिया जाना उचित बताया का अंकन किया है। ग्राम विकास अधिकारी राजपुरबड़ा से पटटा विलेख की जॉच रिपोर्ट पत्रांक सामान्य/2023–24/71 दिनांक 28.07.2023 द्वारा प्रस्तुत की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया है। श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा ग्राम विकास अधिकारी राजपुरबड़ा द्वारा प्रेषित जॉच रिपोर्ट में गैरसायन द्वारा प्रस्तुत किया गया विक्रय विलेख दिनांक 10.07.1996 का ग्राम पंचायत राजपुरबड़ा के रिकार्ड में उपलब्ध होना का अंकन किया है। ग्राम विकास अधिकारी की जॉच रिपोर्टानुसार वाके ग्राम राजपुरबड़ा के चारागाह भूमि का पेश किया गया आबादी भूमि का विक्रय विलेख शुन्य है। अतिक्रमी की मंशा आराजी वाके ग्राम राजपुरबड़ा के आराजी खसरा नम्बर 2273/593 रकबा 0.22 है0 के भाग 0.02 है0 चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने की प्रतित होती है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है किः–

अतिक्रमी श्री धनपाल नागर पुत्र बंशीलाल नागर जाति बैरवा निवासी राजपुरबड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके ग्राम राजपुरबड़ा के आराजी खसरा नम्बर 2273/593 रकबा 0.22 है0 के भाग 0.02 है0 चारागाह भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1 की 50 गुणा में मु0 50.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों राजपुरबड़ा एंव पटवारी हल्का राजपुरबड़ा को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 04.08.2023 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2023-24
के पृष्ठ संख्या 37 पर पी.पे. 50/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. ले. कार